उत्तरांचल फॉरेस्ट हॉस्पिटल ट्रस्ट

बनाम

दिनेश कुमार

27 नवंबर, 2007

[डॉ. अरिजित पसायत एवं आफताब आलम, न्यायाधिपति]

श्रम कानून:

पुनर्नियुक्ति - इस आधार पर दावा किया गया कि दावेदार द्वारा अपीलार्थी के अस्पताल में एक साल से अधिक समय तक सफाईकर्मी के रूप में काम किया गया - श्रम न्यायालय द्वारा यह स्वीकार किया गया कि दावेदार ने सेवा से बर्खास्तगी के पूर्व पिछले वर्ष में 240 दिनों से ज्यादा अवधि के लिये सेवायें प्रदान की थी - 50 प्रतिशत बकाया वेतन के साथ पुनर्नियुक्ति हेतु आदेशित किया गया - उच्च न्यायालय द्वारा श्रम न्यायालय के आदेश को बरकरार रखा गया - बरकरार रखने का औचित्य: न्यायोचित नहीं - प्रस्तुत दस्तावेज स्पष्ट रूप से दर्शित करते हैं कि कर्मचारी अंशकालिक आधार पर एक घंटे अथवा कुछ घंटों के लिये कार्यरत था एवं नियमित रूप से दैनिक वेतनभोगी के रूप में कार्यरत नहीं था एवं दावेदार के 240 दिनों से ज्यादा कार्य करने के दावे को झुठलाते हैं - उत्तरप्रदेश औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 - एस.6 एन.

प्रत्यर्थी/दावेदार ने औद्योगिक वाद यह दावा करते हुये दायर किया कि उसने अपीलार्थी के अस्पताल में एक सफाईकर्मी के रूप में दिनांक 01-07-1995 से 16-08-1996 तक कार्य किया एवं दिनांक 17-08-1996 को उसे बिना किसी सूचना और छंटनी भत्ते के बर्खास्त कर दिया गया। श्रम न्यायालय द्वारा यह अभिनिर्धारित माना गया कि प्रत्यर्थी द्वारा कथित बर्खास्तगी के पिछले वर्ष में 240 दिनों से ज्यादा अवधि के लिये

सेवा प्रदान की गई एवं प्रत्यर्थी की 50 प्रतिशत बकाया वेतन के साथ पुनर्नियुक्ति हेतु निर्देशित किया गया। उच्च न्यायालय द्वारा उक्त आदेश को बरकरार रखा गया।

नियोक्ता द्वारा की गई तत्काल अपील में, अपीलार्थी द्वारा उच्च न्यायालय के आदेश को इस आधार पर चुनौती दी गई कि प्रत्यर्थी केवल अंशकालिक आधार पर कार्यरत था, इसलिये, उसके द्वारा कथित बर्खास्तगी के पिछले वर्ष में 240 दिनोें से ज्यादा अवधि के लिये कार्य करने का प्रश्न ही नहीं उठा।

अपील स्वीकार करते हुये न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित माना कि -

1.1. श्रम न्यायालय एवं उच्च न्यायालय द्वारा अंशकालिक आधार पर एक घंटे अथवा कुछ घंटों के लिये कार्यरत एक व्यक्ति एवं नियमित रूप से दैनिक वेतन पर कार्यरत एक व्यक्ति के मध्य के बुनियादी अंतर को दृष्टिगत नहीं रखा गया। श्रम न्यायालय के समक्ष यह दर्शित करने के लिये सामग्री पेश की गई थी कि कार्मिक अंशकालिक रूप से कार्यरत था एवं उसने कई महीनों में कुछ दिनों के लिये कार्य किया था और उसे पूरे दिन काम करने पर 35 रूपये तथा एक घंटे काम करने पर 5 रूपये का भुगतान किया जाता था। प्रस्तुत किये गये दस्तावेज दावेदार के 240 दिनों से ज्यादा से काम करने के दावे को स्पष्ट रूप से झुठलाते हैं।

[पैरा 6 एवं 7] [576-ए,बी,सी] [575-एफ]

1.2 अपीलार्थी का यह मत सुस्थापित होता है कि प्रत्यर्थी को काम उपलब्ध होने एवं आवश्यकता होने पर ही काम पर बुलाया गया एवं काम उपलब्ध नहीं होने की दशा में उसे काम पर नहीं बुलाया गया था। श्रम न्यायालय ने स्वयं यह इंगित किया है कि कार्मिक अपीलार्थी के अतिरिक्त दूसरों के यहां भी कार्यरत था, चूंकि वह अपीलार्थी के संस्थापन में एक घंटे अथवा किसी दिन कुछ घंटों के लिये ही कार्य करता था। इस दृष्टि से मामले में श्रम न्यायालय एवं उच्च न्यायालय द्वारा आंशिक बकाया भुगतान के साथ

पुनर्नियुक्ति हेतु निर्देशित किया जाना कतई न्यायोचित नहीं था। [पैरा 8 व 9] [576-सी, डी, ई]

सिविल अपीलीय न्यायनिर्णय: सिविल अपील सं. 5423 वर्ष 2007

रिट याचिका सं 530/2004 में उत्तरांचल उच्च न्यायालय, नैनीताल के अंतिम निर्णय एवं आदेश दिनांक 02.09.2005 से लक्ष्मी रमन सिंह - अपीलार्थी की ओर से।

आशुतोष भट्टाचार्य, गिरधर जी. उपाध्याय, विनीता जी. उपाध्याय, आशा उपाध्याय एवं आर.डी उपाध्याय - प्रत्यर्थी की ओर से।

न्यायालय का निर्णय डॉ. अरिजित पसायत, ज. 1 द्वारा दिया गया, अनुमति दी गई।

2. इस अपील द्वारा उत्तराखंड उच्च न्यायालय के विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा पारित आदेश को चुनौती दी गई है। अपीलार्थी द्वारा श्रम न्यायालय, हल्दवानी, नैनीताल (संक्षिप्त में श्रम न्यायालय) के पीठासीन अधिकारी द्वारा जारी आदेश की यथार्थपरकता/शुद्धता पर सवाल किया गया है।

3. प्रत्यर्थी द्वारा यह दावा किया गया था कि वह अपीलार्थी के अस्पताल में सफाईकर्मी के रूप में कार्यरत था, उसकी नियुक्ति दिनांक 01.07.1995 को हुई थी और उसके द्वारा दिनांक 16.08.1996 तक कार्य किया गया। परन्तु दिनांक 17-08-1996 को उसे बिना किसी सूचना और छंटनी भत्ते के बर्खास्त कर दिया गया था। इस प्रकार वाद उत्पन्न होने पर उत्तरप्रदेश औद्योगिक वाद अधिनियम, 1947 की धारा 6 एन के अंतर्गत श्रम न्यायालय के समक्ष रखा गया। श्रम न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित किया कि प्रत्यर्थी पुनर्नियुक्ति एवं 50 प्रतिशत बकाया भुगतान के लाभ का हकदार है। अपीलार्थी के इस मत को अस्वीकार कर दिया गया कि प्रत्यर्थी अंशकालिक कार्य के लिये दैनिक मजदूरी के आधार पर सफाई हेतु कार्यरत था। यह अभिनिर्धारित किया गया कि प्रत्यर्थी

ने 240 दिनों से अधिक समय के लिये सेवायें प्रदान की थी। उच्च न्यायालय के समक्ष अपीलार्थी का मत यही था कि प्रत्यर्थी द्वारा 240 दिनों से अधिक समय के लिये सेवायें प्रदान नहीं की गई थी, जैसा कि उसके द्वारा दावा किया जा रहा है। उसकी नियुक्ति केवल अस्थाई आधार पर, वह भी प्रतिदिन एक घंटे के लिये ही की गई थी। यह मत उच्च न्यायालय द्वारा स्वीकार नहीं किया गया।

4. अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता द्वारा अपील के समर्थन में यह कथन किया गया कि प्रत्यर्थी की नियुक्ति अंशकालिक आधार पर और वह भी एक घंटे अथवा कभी-कभार एक घंटे से कुछ अधिक समय के लिये होने के संबंध में समुचित दस्तावेज पेश किये गये थे। बर्खास्तगी से पिछले वर्ष में 240 दिनों से ज्यादा के लिये काम करने का प्रश्न ही नहीं उठा।

5. वहीं दूसरी ओर प्रत्यर्थी के विद्वान अधिवक्ता द्वारा श्रम न्यायालय एवं उच्च न्यायालय द्वारा जारी आदेश का समर्थन किया गया।

6. यह निर्विवादित है कि अस्पताल में सफाई का काम दिनांक 17.08.1996 से एक ठेकेदार को दिया हुआ था। कार्मिक के अंशकालिक आधार पर कार्यरत होने एवं उसके द्वारा कई महीनों में कुछ दिनों के लिये काम करने के संबंध में श्रम न्यायालय के समक्ष सामग्री प्रस्तुत की गई थी। श्रम न्यायालय द्वारा स्वयं उक्त दस्तावेजात् एवं रिकॉर्ड पर विचारण करते हुये इस प्रकार इंगित किया गया कि -

"यह जाहिर है कि कार्मिक द्वारा माह अगस्त, 1996 में 16 दिन, जुलाई, 1996 में 30 दिन, मई, 1996 में 30 दिन, अप्रेल, 1996 में 30 दिन, मार्च, 1996 में 29 दिन, फरवरी, 1996 में 29 दिन, जनवरी, 1996 में 31 दिन, दिसंबर, 1995 में 31 दिन, नवंबर, 1995 में 20 दिन (पूर्ण), अक्टूबर, 1995 में 19 दिन (पूर्ण), सितंबर, 1995 में 25 दिन (पूर्ण) 35/- रूपये प्रतिदिन पर कार्य किया गया। इसके साथ ही,

माह नवंबर, 1995 में 3 दिन, अक्टूबर, 1995 में 9 दिन, 20/- रूपये प्रतिदिन के आधार पर अंशकालिक कार्य एवं सितंबर, 1995 में 3 दिन प्रतिदिन 5/- रूपये के आधार पर कार्य किया गया।"

7. श्रम न्यायालय एवं उच्च न्यायालय द्वारा अंशकालिक आधार पर एक घंटे अथवा कुछ घंटों के लिये कार्यरत एक व्यक्ति एवं नियमित रूप से दैनिक वेतन पर कार्यरत एक व्यक्ति के मध्य के बुनियादी अंतर को दृष्टिगत नहीं रखा गया है। प्रस्तुत किये गये दस्तावेज दावेदार के 240 दिनों से ज्यादा से काम करने के दावे को स्पष्ट रूप से झुठलाते हैं।

8. अपीलार्थी का यह मत सुस्थापित होता है कि प्रत्यर्थी को काम उपलब्ध होने एवं आवश्यकता होने पर ही काम पर बुलाया गया एवं काम उपलब्ध नहीं होने की दशा में उसे काम पर नहीं बुलाया गया था। श्रम न्यायालय ने स्वयं यह इंगित किया है कि कार्मिक अपीलार्थी के अतिरिक्त दूसरों के यहां भी कार्यरत था, चूंकि वह अपीलार्थी के संस्थापन में एक घंटे अथवा किसी दिन कुछ घंटों के लिये ही कार्य करता था। श्रम न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत दस्तावेजों से यह भी दर्शित होता है कि जब भी प्रत्यर्थी द्वारा पूरे दिन कार्य किया जाता था, उसे प्रतिदिन 35/- रूपये का भुगतान किया जाता था एवं अन्य दिनों जब उसने एक घंटे के लिये कार्य किया, उसे 5/- रूपये मिलते थे।

9. इस प्रकार पूर्वोक्त स्थिति में, अपरिहार्य निष्कर्ष यह है कि श्रम न्यायालय एवं उच्च न्यायालय द्वारा पिछले बकाया वेतन के साथ पुनर्नियुक्ति हेतु निर्देशित किया जाना न्यायोचित नहीं था।

10. खर्चों के संबंध में कोई आदेश किये बगैर यह अपील स्वीकार की जाती है।

11. यह स्पष्ट किया जाता है कि हमारे द्वारा अपील स्वीकार किये जाने का तथ्य, अपीलार्थी द्वारा प्रत्यर्थी को समुचित शर्तों पर अनुबंधित करने में बाधा उत्पन्न नहीं करता है।

बी.बी.बी अपील स्वीकृत।

यह अनुवाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल '**सुवास**' की सहायता से अनुवादक न्यायिक अधिकारी इन्द्र प्रकाश सेन (आर.जे.एस.) द्वारा किया गया है।

अस्वीकरण: यह निर्णय पक्षकार को उसकी भाषा में समझाने के सीमित उपयोग के लिए स्थानीय भाषा में अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रामाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य से भी अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।